

## अध्याय 4: फर्म का निर्धारण

### 4.1 प्रस्तावना

हमने आईटीडी द्वारा फर्म के निर्धारण में छूट/कटौती की अनुचित स्वीकृति पूंजीगत लाभ, अगले लाभ और निर्धारण से घटा पूर्ति, आय की गणना, मूल्य हास की अनुचित स्वीकृति आदि से संबंधित गलतियां देखी।

राजस्व संग्रहण के संबंध में सामान्य मामलों से जुड़े अधिनियम के विभिन्न भाग इस अध्याय में शामिल किये गये हैं। हमने गलतियों से संबंधित ₹ 244.57 करोड़ के कर प्रभाव सहित 287 मामलें देखे, जहां अधिनियम के प्रावधानों का उचित रूप से पालन नहीं किया गया था। निर्धारण में गलतियों का श्रेणी वार विवरण तालिका 4.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1 अपने कर प्रभाव सहित गलतियों की प्रकृति

गलतियों की प्रकृति	मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
1. निर्धारित न की गई आय	56	44.13
2. छूट/कटौती का अनुचित स्वीकृत	40	59.60
3. आय के गणना में गलती	28	19.64
4. मूल्य हास/हानि का प्रतिविरूपण	44	25.00
5. व्यय/प्रावधान का अनुचित स्वीकृति	24	9.19
6. पूंजीगत लाभ	15	27.26
7. अन्य मामले	80	59.75
<b>कुल</b>	<b>287</b>	<b>244.57</b>

**निर्धारण अधिकारी ने 56 फर्मों का आय का निर्धारण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 44.13 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ।**

### 4.2 निर्धारित न की गई आय

अधिनियम की धारा 5 दर्शाती है कि विगत किसी वर्ष हेतु किसी व्यक्ति की कुल आय में किसी भी स्रोत से प्राप्त, वास्तविक रूप से प्राप्त या उपार्जित या प्राप्त या उपार्जित माने जाने वाले स्रोतों से प्राप्त सभी आय शामिल होती हैं।

हमने 13 राज्यों<sup>21</sup> में ₹ 44.13 करोड़ वाले 56 मामले पाये जहां आय पर कर नहीं दिया गया था (बॉक्स 4.1 देखें)।

21 महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़।

**बॉक्स 4.1: निर्धारित न की गई आय पर निदर्शी मामले**

**क.** आंध्र प्रदेश, सीआईटी-III हैदराबाद प्रभार में, एओ ने नि.व.09 के लिए **मै. ड्रीम रिसोर्ट** का निर्धारण पूरा किया जिसमें संवीक्षा के बाद बैंक देय के निपटान हेतु ₹ 14.85 करोड़ की कुल राशि निर्धारिती ने प्राप्त की थी। हालांकि, निर्धारिती ने आय के रूप में ₹ 5.77 करोड़ दिये और फिर भी ₹ 9.08 करोड़ की शेष राशि निर्धारण से बचने के कारण ब्याज सहित ₹ 3.90 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ।

**ख.** तमिलनाडू, सीआईटी-I मदुरै प्रभार में, एओ ने शून्य आय पर नि.व.10 के लिए **मै. एलपीएल संसज़ रोड़लाईस** का निर्धारण पूरा किया। हमने पाया कि निर्धारिती ने लॉरी माल भाड़े, किराया प्रभार और आय व्यय खातों में आदत के प्रति ₹ 9.62 करोड़ की कुल राशि दर्शाई थी जबकि निर्धारिती ने उसी वर्ष के दौरान ₹ 20.01 करोड़ की कुल राशि वास्तविक रूप से प्राप्त की थी। इस प्रकार, ₹ 10.39 करोड़ की छूटी हुई आय के कारण ₹ 3.50 करोड़ का कम निर्धारण किया गया।

**निर्धारण अधिकारी ने 40 फर्मों को छूट/कटौती की गलत स्वीकृति प्रदान की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 59.60 करोड़ के कर का कम उदग्रहण किया गया।**

**4.3 छूट/कटौती की गलत स्वीकृति**

अधिनियम के अध्याय VIए और धारा 10 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने हेतु प्रतिबद्ध है जो निर्धारिती की कुल आय गणना में निश्चित छूट/कटौती प्रदान करते हैं।

हमने 13 राज्यों<sup>22</sup> में 40 मामलों में छूट/कटौती की गलत स्वीकृति देखी जिसमें ₹ 59.60 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था (बॉक्स 4.2 देखें)।

**बॉक्स 4.2: छूट/कटौती की गलत स्वीकृति के निदर्शी मामले**

**क.** तमिलनाडू, सीआईटी-I चेन्नै प्रभार में, एओ ने नि.व.10 के लिए संवीक्षा के अंतर्गत **मै. प्लाजा रियलटिज़** का निर्धारण पूरा कर, ₹ 13.46 करोड़ राशि हेतु धारा 80 आईबी(10) के अंतर्गत कटौती स्वीकृत की। हमने देखा कि निर्धारिती ने निर्माण के लिए भूमि मालिक के साथ संविदा में भाग लिया और इसलिए, वित्त (सं.2) अधिनियम 2009 द्वारा अधिनियम में जोड़ी गई व्याख्या के अनुसार, निर्धारिती के ठेकेदार होने के कारण अधिनियम की धारा 80आईबी के अंतर्गत छूट अनुमत नहीं करनी चाहिए थी। अनुचित कटौती स्वीकृत करने में गलती के कारण ₹ 6.59 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ।

22 महाराष्ट्र, तमिलनाडू, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश।

**ख.** अधिनियम की धारा 10बी(2)(iii) के अनुसार यदि नई इकाई किसी प्लांट और किन्हीं उद्देश्यों के लिए पहले से प्रयोग की गई मशीनरी के स्थानांतरण द्वारा तैयार की गई है तो इकाई धारा 10बी के अंतर्गत किसी कटौती के दावे करने की अधिकारी नहीं होगी। सीआईटी-VIII चेन्नै प्रभार, तमिलनाडू में, एओ ने संवीक्षा के अंतर्गत नि.व.09 हेतु **मै. इंदिरा इंडस्ट्रीज** का निर्धारण पूरा किया और अधिनियम की धारा 10बी के अंतर्गत ₹ 7.86 करोड़ की कटौती स्वीकृत की जबकि निर्धारिती मशीनरी संस्थापित कर चुका था जो पहले उपयोग की जा चुकी थी। इस गलती के कारण आय निर्धारण के अंतर्गत ₹ 3.73 करोड़ की समान राशि का कम उदग्रहण किया गया।

**निर्धारण अधिकारी ने ₹ 19.64 करोड़ के कर प्रभाव सहित 28 मामलों में आय की गणना में गलतियां की।**

#### 4.4 आय की गणना में गलतियां

अधिनियम की धारा 143(3) बताती है कि नि.अ. को आय उचित ढंग से निश्चित और निर्धारित करती पड़ती है। सभी लेखे, रिकॉर्ड और रिटर्न के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों के साथ विभिन्न प्रकार के दावों की संवीक्षा निर्धारणों में विस्तृत जांच की जानी अपेक्षित होती है। सीबीडीटी ने इस संबंध में समय-समय पर निर्देश भी जारी किये हैं।

हमने आठ राज्यों<sup>23</sup> में ₹ 19.64 करोड़ कर प्रभाव वाले 28 मामलों में कर की गणना में त्रुटियां देखी (बॉक्स 4.3 देखें)।

#### **बॉक्स 4.3: आय की गणना में त्रुटियों के निदर्शी मामले**

**क.** आंध्र प्रदेश, सीआईटी-III हैदराबाद प्रभार में, एओ ने निर्धारिती द्वारा घोषित ₹ 26.69 करोड़ की हानि की संवीक्षा के बाद नि.व.11 हेतु **मै. इडलवेल्यू पार्टनर्स**<sup>24</sup> का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने निवल लाभ से ₹ 7.58 करोड़ के कुल वसूले न गये लाभ के स्थान पर ₹ 30.17 करोड़ के कुल वसूले न गये लाभ<sup>25</sup> की कटौती की। त्रुटि के कारण ₹ 6.83 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 22.59 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। आईटीडी ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (मई 2013) कि निवल वसूला न गया लाभ लेखाकरण मानक 30 को अपनाने के कारण यहां तक पहुँचा था और उक्त की निवल लाभ से कटौती करने की आवश्यकता है। उत्तर स्वयं यह पुष्टि करता है कि निवल वसूले न गये लाभ की निवल लाभ से कटौती की जानी चाहिए थी।

23 महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा और उत्तर प्रदेश।

24 व्युत्पादों, सुरक्षा और सामग्री में व्यापार के बिजनेस से जुड़े।

25 लाभ और हानि लेखे में खजाने के संचालनों से आय के अंतर्गत शामिल किये गये।

**ख.** कर्नाटक, डीजीआईटी (जांच) बेंगलोर प्रभार में, एओ ने ₹ 49.12 करोड़ की आय पर अधिनियम की धारा 153(सी)/144 के अंतर्गत नि.व.11 हेतु **मै. देवी इंटरप्राइजेज़** का निर्धारण पूरा किया। हमने पाया कि एओ ने ₹ 460 लाख की सही राशि के स्थान पर ₹ 450 लाख पर अग्रिम कर स्वीकृत किया और कर पर अधिप्रभार उदग्रहित किया जो प्रासंगिक नि.व. हेतु लागू नहीं था। त्रुटि के कारण ₹ 1.60 करोड़ के कर का अधिक उदग्रहण किया गया। आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया (जून 2013)।

**ग.** महाराष्ट्र, सीआईटी-XV मुंबई में, एओ ने ₹ 184.08 लाख की सही राशि के स्थान पर ₹ 32.08 लाख पर लाभ और हानि लेखे में ओपनिंग स्टॉक के मूल्य को मानते हुए दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के बाद नि.व. 08 हेतु **मै. सिद्धीविनायक डेवलेपर्स** का निर्धारण पूरा किया। त्रुटि के कारण ₹ 68.05 लाख के कर के कम उदग्रहण सहित ₹ 152 लाख की आय का कम निर्धारण किया गया।

**निर्धारण अधिकारी ने ₹ 25 करोड़ के कर प्रभाव सहित 44 मामलों में हानियों का मूल्य हास/छोड़ने की स्वीकृति देने में त्रुटि की।**

#### 4.5 मूल्य हास/हानियों का संभजन

अधिनियम की धारा 32 विशेष शर्तों को पूरा करने के लिए अधिनियम में विनिर्दिष्ट दरों पर मूल्यहास की स्वीकृति दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, धारा 72 आगामी आठ निर्धारण वर्षों के लाभों और प्राप्तियों के प्रति किसी नि.व. हानि को आगे ले जाने और संभजन को दर्शाती है।

हमने पाया कि ₹ 25 करोड़ के कर प्रभाव सहित 12 राज्यों<sup>26</sup> में 44 मामलों में मूल्यहास/हानियों का संभजन की स्वीकृति में त्रुटि हुई (बॉक्स 4.4 देखें)।

#### **बॉक्स 4.4: हानियों के मूल्यहास/छोड़ने पर निदर्शी मामले**

**क.** गुजरात, सीआईटी-1 राजकोट प्रभार में, एओ ने ₹ 7.88 करोड़ की आय पर नि.व.11 के लिए **मै. पी.सी. पटेल एंड कंपनी** का निर्धारण पूरा किया। हमने पाया कि एओ टिपर/डंपर पर 15 प्रतिशत की लागू दर के स्थान पर @ 30 प्रतिशत पर टिपर और डंपर पर मूल्यहास को स्वीकृति दी क्योंकि निर्धारिती ठेकेदार के रूप में कार्यरत था। त्रुटि के कारण ब्याज सहित ₹ 1.37 करोड़ के कर के कम उदग्रहण सहित ₹ 3.27 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। आईटीडी ने उत्तर दिया (मई 2013) कि निर्धारिती ने कार्य हेतु भारी मिट्टी ढोने वाली मशीनरी को किराये पर लेने का करार लागू किया था और इसलिए, निर्धारिती उच्च मूल्यहास के लिए पात्र था। आईटीडी का उत्तर तर्कपूर्ण नहीं है चूंकि निर्धारिती ने संविदा

26 महाराष्ट्र, तमिलनाडू, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गोआ और उत्तर प्रदेश।

कार्य के कार्यान्वयन हेतु टिपर/डंपर का उपयोग किया था न की नियमित बिजनेस गतिविधि के उद्देश्य से।

**ख.** महाराष्ट्र, सीआईटी-XX मुंबई प्रभार में, एओ ने ₹ 2.44 करोड़ की हानि पर दिसम्बर 2012 में संवीक्षा के बाद नि.व.11 हेतु **मै. पूनीत क्रिएशन** का निर्धारण पूरा किया और नि.व.07 और नि.व. 08 में ₹ 3.45 करोड़ की राशि वाली हानियों को आगे ले जाना स्वीकृत किया जिसे नि.व.10 की आय के प्रति पहले ही समायोजित किया जा चुका था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 1.06 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित इसी के समान हानियों को आगे ले जाने की अधिक स्वीकृति दी गई।

**निर्धारण अधिकारी ने 24 मामलों में व्यय/प्रावधानों की स्वीकृति में त्रुटि की जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 9.19 करोड़ कर का कम उदग्रहण किया गया।**

#### 4.6 व्यय/प्रावधान की अनुचित स्वीकृति

किसी संचित या ज्ञात देयता हेतु लेखों में किये गये प्रावधान अनुमत कटौती हैं जबकि अन्य प्रावधान कटौती के लिए नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 37(1) दर्शाती है कि बिजनेस या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए सारी और पूर्ण रूप से किये गये व्यय निर्धारिती की बिजनेस आय में गणना में स्वीकृत किया जाता है।

हमने व्यय/प्रावधानों की अनुमति में त्रुटि के कारण ₹ 9.19 करोड़ के कर के कम उदग्रहण सहित नौ राज्यों<sup>27</sup> में 24 मामले पाये (बॉक्स 4.5 देखें)।

#### **बॉक्स 4.5: व्यय/प्रावधान की अनुचित स्वीकृति के निदर्शी मामले**

**क.** असम, सीआईटी-II गोहाटी प्रभार में, एओ ने ₹ 4.80 करोड़ हानि पर संवीक्षा के बाद नि.व.10 हेतु **मै. ब्रह्मपुत्र रोलिंग मिल्स** का निर्धारण करते हुए ट्रायल संचालन व्यय के संबंध में ₹ 13.45 करोड़ की राशि का व्यय स्वीकृत किया। चूंकि ट्रायल उत्पादन हेतु व्यय की गई राशि व्यवसायिक उत्पादन का प्रारंभ करने से पूर्व खर्च की गई थी, इसे पूंजीगत व्यय के रूप में मानते हुए अस्वीकृत किया जाना चाहिए था। इस चूक के कारण ₹ 2.05 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 13.45 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

**ख.** तमिलनाडू, सीआईटी-I चेन्नै प्रभार में, एओ ने नि.व.10 हेतु **मै. कुन्नम एंड ग्रेनाइट वर्क्स** का निर्धारण करते हुए विदेशी मुद्रा अस्थिरता हानि जो प्रकृति से काल्पनिक थी; के प्रति ₹ 5.46 करोड़ के खर्च की स्वीकृति दी। बिजनेस व्यय के रूप में काल्पनिक हानि स्वीकृत करने की त्रुटि के कारण ₹ 1.86 करोड़ के कर प्रभाव सहित इसकी समान राशि तक आय का कम निर्धारण हुआ।

27 महाराष्ट्र, तमिलनाडू, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, ओड़ीशा और मध्य प्रदेश।

**निर्धारण अधिकारी द्वारा 15 मामलों में कर हेतु पूंजीगत लाभों को न मानने के कारण ₹ 27.26 करोड़ का कम उदग्रहण किया गया।**

#### 4.7 पूंजीगत लाभ

अधिनियम की धारा 45 दर्शाती है कि किसी पूंजीगत संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण से प्राप्त कोई लाभ या मुनाफा “पूंजीगत मुनाफे” के शीर्ष के अंतर्गत कर के लिए प्रभारित है और हस्तांतरण किये गये विगत वर्ष की आय माने जाएंगे।

हमने चार राज्यों<sup>28</sup> में कर प्रभाव सहित ₹ 27.26 करोड़ जहा पूंजीगत लाभ कर नहीं दिया गया था; के 15 मामले पाये (बॉक्स 4.6 देखें)।

#### बॉक्स 4.6: पूंजीगत लाभों पर निदर्शी मामले

अधिनियम की धारा 50सी दर्शाती है कि जहां मुआवजा किसी भूमि भवन या दोनों के रूप में पूंजीगत परिसंपत्ति के किसी निर्धारिती द्वारा हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया गया, तो ऐसे हस्तांतरण के संबंध में स्टांप शुल्क के भुगतान के उद्देश्य के लिए स्टांप मूल्यांकन अधिकारी द्वारा मूल्य स्वीकृत या निर्धारण से कम है, वहां स्वीकृत निर्धारित मूल्य को ऐसे हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त किये गये या प्रोदभूत मुआवजे का पूर्व मूल्य समझा जाएगा।

महाराष्ट्र, सीआईटी-XII मुंबई प्रभार में, एओ ने ₹ 123.39 लाख की आय पर नि.व.07 हेतु **मै. कोहली एसोसिएट्स** का निर्धारण पूरा किया हमने पाया कि निर्धारिती ने पुराने ढांचे की बिक्री और नई परियोजना के निर्माण पर ₹ 153.60 लाख का बिक्री मुआवजा प्राप्त किया, हालांकि स्टांप शुल्क के उद्देश्य हेतु निर्मित परियोजना का मूल्य ₹ 255.80 लाख था। परिसंपत्ति के बिक्री मूल्य की गलत स्वीकृति के कारण ₹ 23.16 लाख के कर प्रभावसहित ₹ 103.20 लाख पर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत आदेश पारित करके एक उपचारात्मक कार्रवाई की (दिसम्बर 2011)।

#### 4.8 अन्य मामले

हमने 15 राज्यों<sup>29</sup> में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां जैसे ब्याज न लिया जाना/कम लिया जाना, आय का गलत वर्गीकरण, टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों के अनुपालन में विफलता आदि में ₹ 59.75 करोड़ कर प्रभाव सहित 80 मामले भी पाये (बॉक्स 4.7 देखें)।

28 महाराष्ट्र, तमिलनाडू, गुजरात और हरियाणा ।

29 महाराष्ट्र, तमिलनाडू, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार ।

**बॉक्स: 4.7: विविध त्रुटियों के निदर्शी मामले**

**क.** दिल्ली, डीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-I, एओ ने अक्टूबर 2011 में यूएस \$ 3.12 करोड़ आय संवीक्षा के बाद नि.व.08 के लिए **मै. ईएसएस डिस्ट्रिब्यूशन (मॉरीशस)** के निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 9.56 करोड़ ब्याज का उदग्रहण नहीं किया गया। आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया (अक्टूबर 2012)।

**ख.** महाराष्ट्र, सीआईटी-XXII मुंबई प्रभार में, एओ ने धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत मार्च 2013 में नि.व.08 के लिए **मै. राजेश बिल्डर्स** का निर्धारण करते समय ₹ 5.59 करोड़ की उचित राशि के स्थान पर ₹ 2.81 करोड़ के लिए धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज का उदग्रहण किया जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 2.78 करोड़ ब्याज का कम उदग्रहण हुआ।

**ग.** धारा 234बी(3) दर्शाती है कि अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत पुनः निर्धारण के आदेश के फलस्वरूप, जहां राशि पर ब्याज देय है, बढ़ गया है, वहां निर्धारित नियमित निर्धारण में निर्धारित कुल आय पर बड़े हुए कर के पुनः निर्धारण के आधार पर निर्धारित कुल आय पर कर वाली राशि के पुनः निर्धारण की तिथि तक आगामी नियमित निर्धारण के दिन पर इसके प्रारंभ से प्रति मास या कभी-कभी के लिए एक प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज अदा करने हेतु जिम्मेदार होगा। कर्नाटक, सीआईटी-III बेंगलूरु, प्रभार में, नि.अ. ने ₹ 61.29 करोड़ की आय पर संवीक्षा के बाद नि.व.06 हेतु **मै. अन्नपूर्णेश्वरी इन्वेस्टमेंट्स** का निर्धारण पूरा किया। तत्पश्चात् ₹ 26.63 करोड़ की आय का निर्धारण करते समय अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत मामले का पुनर्निर्धारण किया गया था। हमने पाया कि धारा 234बी(3) के अंतर्गत ब्याज ₹ 2.92 करोड़ की उचित राशि के स्थान पर ₹ 1.87 करोड़ पर उदग्रहित किये जाने के परिणाम स्वरूप ₹ 1.05 करोड़ ब्याज का कम उदग्रहण हुआ। आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत स्वीकार किया और कार्रवाई करने की पहल की (अप्रैल 2013)।

**4.9 सिफारिश**

हमने सिफारिश की कि सीबीडीटी निर्धारणों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक तंत्र पर विचार कर सकता है और त्रुटियों को घटाने हेतु निर्धारण अधिकारी हेतु क्षमता निर्माण की संभावना खोज सकता है।

*मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में निर्धारण की गुणवत्ता सुधारने के लिए सीबीडीटी द्वारा उठाये गये कदमों का विस्तृत विवरण किया। सीबीडीटी ने अपनी केंद्रीय कार्रवाई योजना में संवीक्षा निर्धारण की गुणवत्ता को सुधारने पर दवाब डाला। नि.व. 12 के बाद, क्षेत्रीय कार्यालयों ने पश्च निर्धारण ने वार्षिक*

रूप से प्रकाशित निर्धारणों में सुधार के सुझाव देने के लिए 50 गुणवत्ता निर्धारणों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। सीबीडीटी प्रशासनिक कार्रवाई हेतु सक्षम अधिकारी को एओ की ओर से एक प्रभावी भूमिका निभाने के लिए और चूक/विलय के मामले को उठाने के लिए पर्यवेक्षक कार्यालयों को भी निदेश दिये। सीबीडीटी संवीक्षा निर्धारणों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए प्रभावी यंत्र के रूप में प्रणाली की समीक्षा और निरीक्षण का भी उपयोग करती है। निर्धारण अधिकारी (अधिकारियों) के क्षमता निर्माण पर काफी दबाव डाला जा रहा है जिसे नियमित अंतरालों पर आय कर अपीलीय न्यायाधिकरण में पदस्थापित आयुक्त (अपील) और आयुक्तों के साथ नियमित प्रशिक्षण और अतः क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है।